

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

विषय :— अलीगढ़ में 400 के0वी0 डबल सर्किट अलीगढ़—प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष एवं 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या—8बी/यूपी/04/54/695 दिनांक 14.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2— विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 14.12.2017 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना तत्सम्बन्धी आलेख्य शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

*Manoj Singh*  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनु सचिव।